[illegible] मुकदमा [illegible] (स्थगित होने पर)
पश्चात दिनांक 28/8/14 को भेजा है)

उप [illegible]कारी
[illegible] (राज०)

28/8/14 वकीलों के कार्य बहिष्कार होने के
कारण आज दिनांक 28/8/14 को
विचाराधीन राजस्व मुकदमात की
सुनवाई दिनांक 13/11/14 को
की जावेगी। [illegible]

13/11/14 श्रीमान [illegible] राजकार्य के कार्य होने के
कारण आज दिनांक 13/11/14 को
विचाराधीन राजस्व मुकदमात की
सुनवाई दिनांक 29/11/14 को
की जावेगी। [illegible]

29/11/14 श्रीमान [illegible] के कार्य होने के
कारण आज दिनांक 29/11/14 को
विचाराधीन राजस्व मुकदमात की
सुनवाई दिनांक 5/5/15 को
की जावेगी। [illegible]

7/5/15 वकील [illegible] उपस्थित [illegible] के
[illegible] होने पर [illegible]
[illegible] 7/7/15 को
भेजा है।

उपखण्ड अधिकारी
करौली

7-7-15 पत्रावली पेश हुई। आज आवाज किया गया, प्रार्थी वादी एवं
वादीगण अनुपस्थित आए। पत्रावली अदम पैरवी, अदम पैरवी में
खारिज की जाती है। पत्रावली [illegible] दाखिल नस्ख्त
[illegible] है।

उप खण्ड अधिकारी
करौली (राज०)